

(4)

7. Distinguish between the writs of certiorari and prohibition. Discuss the conditions under which these writs are issued.

प्रतिषेध और उत्प्रेषक की याचिकाओं में अन्तर बतायें। इनके जारी करने की दशाओं की विवेचना करें।

Unit-IV / इकाई-IV

8. In recent times certain directives principles have been Judicial enforced and made enforceable by imaginative and creative interpretation of fundamental rights and fundamental duties". Do you agree? Give reasonable illustrations.
“हालिया वक्त में कुछ निदेशक सिद्धान्त न्यायिक तौर पर प्रवर्तनीय किये गये एवं मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों की कल्पनात्मक एवं रचनात्मक व्याख्या द्वारा प्रवर्तनीय बनाये गये।” क्या आप सहमत हैं? कारण देते हुए उदाहरण दें।
9. Discuss the constitutions of Central Information Commission. What are the conditions under which there is exemption from disclosure of Information under the RIT Act 2005?
केन्द्रीय सूचना आयोग के गठन की विवेचना करें। आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वे कौन सी दशाएं हैं जिनके तहत सूचना न प्रदान करने की छूट है।

A

(Printed Pages 4)

Roll No. _____

LH-4/2863

LL.B. (Hons.) (Fourth Semester)

Examination, 2015

(New Course)

CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA - II

Sixth Paper

Time Allowed : Three Hours] [Maximum Marks : 100

Note : Answer **five** questions in all. Question **No.1** is **compulsory**. **One** question is to be attempted from each unit.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न सं. 1 अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना है।

1. Write short notes on the following:
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
- (i) Doctrine of eclipse
आच्छादन का सिद्धान्त।
 - (ii) Doctrine of Waiver
अधित्याग का सिद्धान्त
 - (iii) Freedom of Publication
प्रकाशन की स्वतन्त्रता
 - (iv) Rule of Law
विधि का शासन।

(2)

- (v) Freedom of movement.
भ्रमण की स्वतंत्रता।
- (vi) Right to form Association
संघ बनाने का अधिकार।
- (vii) Directive Principles of state policy
राज्य के नीति निर्देशक तत्व
- (viii) Cultural and Educational Rights of minorities.
अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
- (ix) Social Justice
सामाजिक न्याय
- (x) Public Authorities
लोक प्राधिकारी

Unit-I / इकाई-I

2. Discuss the meaning and concept of 'State' under the Indian constitution. Explain with the help of decided cases.
निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान के अन्तर्गत 'राज्य' की परिसंकल्पना तथा अर्थ की विवेचना करें तथा व्याख्या करें।
3. What do you understand by reasonable classification? Discuss the essential elements of reasonable classification with the help of decided cases.
युक्तियुक्त वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? निर्णीत वादों की सहायता से युक्तियुक्त वर्गीकरण के आवश्यक तत्वों की विवेचना करें।

LH-4/2863

(3)

Unit-II / इकाई-II

4. Right to life and liberty includes 'Right to Privacy'. Discuss with the help of decided cases.
प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत एकांतता का अधिकार समाहित है। निर्णीत वादों की सहायता से इसकी विवेचना करें।
5. What do you understand by punitive detention? What are safeguards provided in the constitution to an accused person against arrest and detention?
दण्डक निरोध तथा निवारक निरोध से आप क्या समझते हैं? संविधान में एक अपराधी व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध कौन से रक्षोपाय प्रावधानित हैं?

Unit-III / इकाई-III

6. In Right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred this part is guaranteed" (Article 32 (i) dealing with rights to constitutional remedies). Explain.
"इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।" (संविधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करने सम्बन्धित अनुच्छेद 32 (i) की व्याख्या करें।

LH-4/2863

P.T.O.